Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ जिला कोटा में दादाबाडी थाने के दो कानिस्टेबल 10 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, 02 अप्रेल, बुधवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी कोटा द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी बनवीर आचार्य, कानिस्टेबल एवं मनीष कुमार जांगिड कानिस्टेबल थाना दादाबाडी जिला कोटा शहर को 10 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा** ने बताया कि एसीबी चौकी कोटा को एक शिकायत इस आशय की मिली कि थाना दादाबाडी में दर्ज प्रकरण में परिवादी के पुत्रों को बचाने की एवज में आरोपियों द्वारा उससे 30 हजार रूपये की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी रेंज कोटा के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री शिवराज मीना** के सुपरविजन में एसीबी चौकी कोटा के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय स्वर्णकार** के नेतृत्व में दिनांक 31.03.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन होने के पश्चात आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री अनीष अहमद** एवं अन्य के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी बनवीर आचार्य, कानिस्टेबल एवं मनीष कुमार जांगिड कानिस्टेबल थाना दादाबाडी जिला कोटा शहर को 10 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।